Popular Front of India

G-78, 2nd Floor, Shaheen Bagh, Kalindi Kunj, Noida Road, New Delhi- 110025

PopularFrontofIndiaOfficial/ www.popularfrontindia.org

popularfrontmail@gmail.com 011- 29949902

प्रेस रिलीज़

27 अगस्त 2018

झारखण्ड में पॉपुलर फ्रंट पर लगाया गया प्रतिबंध वापस लेने के हाई कोर्ट के आदेश का फ्रंट ने किया स्वागत

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन ई. अबूबकर ने झारखण्ड हाई कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है जिसमें कोर्ट ने राज्य में संगठन की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के झारखण्ड सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है।

उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की टिप्पणी ने संगठन पर प्रतिबंध लगाने वाली झारखण्ड की बीजेपी सरकार के साम्प्रदायिक व फासीवादी एजेंडे को बेनकाब कर दिया है।

कोर्ट ने राज्य सरकार के अलोकतांत्रिक कदम पर रोशनी डालते हुए कहा कि सरकार ने सी.एल.ए. ऐक्ट 1908 के अनुभाग 16 के तहत किसी संगठन को प्रतिबंधित करने की कार्यप्रणाली को नहीं अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार की ओर से प्रतिबंध की घोषणा ने प्राकृतिक न्याय के उसूलों और भारतीय संविधान की धारा 19 का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने इस बात की तरफ भी इशारा किया कि सरकार अपने फैसले को सही साबित करने के लिए कोई भी सबूत पेश नहीं कर सकी।

झारखण्ड हाई कोर्ट का फैसला राज्य सरकार की तानाशाही कार्यवाहियों की बहुत बड़ी नाकामी है, जिन्हें सरकार ने जनआंदोलनों और विरोध की आवाज़ों के खिलाफ अपना रखा है। माननीय जज जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय का यह फैसला संविधान की रूह को कायम रखता है और निःसंदेह यह देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और संगठन बनाने की आज़ादी के अधिकार को कमज़ोर करने की कोशिशों के लिए खुली चेतावनी का काम करेगा।

डॉ० मुहम्मद शमून
डायरेक्टर, जन संपर्क
मुख्यालय, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया
नई दिल्ली